न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मुकदमा नं0 – 56 / 2020

1. वाहिद अली खॉं पुत्र नजीर मोहम्मद जाति कायमखानी निवासी साबसर त0 फतेहपुर जिला सीकर।

प्रार्थी

बनाम

1. मोहम्मद सलीम खान पुत्र श्योकत नजीर मोहम्मद खॉंन जाति कायमखानी निवासी साबसर त0 फतेहपुर जिला सीकर।
2. मेजर खॉंन पुत्र श्योकत नजीर मोहम्मद खॉंन जाति कायमखानी निवासी साबसर त0 फतेहपुर जिला सीकर।
3. फातमा बानो श्योकत नजीर मोहम्मद खॉंन जाति कायमखानी निवासी साबसर त0 फतेहपुर जिला सीकर।
4. बाबू खॉं पुत्र श्योकत नजीर मोहम्मद खॉंन जाति कायमखानी निवासी साबसर त0 फतेहपुर जिला सीकर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
6. उम्मेद अली पुत्र अस्त अली जाति कायमखानी निवासी भादरा।
6ए इस्पाक अहमद पि0 अस्त अली खॉंन जाति कायमखानी निवासी भादरा।
6बी फारूक अहमद पि0 अस्त अली खॉंन जाति कायमखानी निवासी भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विनोद पूनियां **प्रार्थी**
श्री किशनलाल यादव अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 13.12.24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं0 149 / 127 के मु0न0 51 के किला न0 20, 21 मु0न0 52 के किला न0 16, 25 की कुल 1.012है0 नहरी खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता श्योकत नजीर मोहम्मद खान के नाम व इसी प्रकार चक 9 बीएचडी के खाता सं0 144 / 136 के मु0न0 2 के किला न0 5, 6, 15, 16 मु0न0 3 के किला न0 1, 10, 11, 20 की कुल 2.0240है0 वाद भूमि प्रार्थी के नाम 1 / 2 हिस्सा व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई। उक्त कृषि भूमि सयुंक्त खाता की खातेदारी है जो शहरी सीमा के नजदीक होने के कारण किमती कृषि भूमि है। उक्त वाद भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनी सुविधा अनुसार उक्त वाद भूमि को काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थीगण अपने हिस्सा की भूमि को बिना खाता विभाजन करवायें अच्छी किस्म की भूमि को औने–पौने दामों पर स्टाम्प आदि के जरिये बेच रहे है। तथा शहरी सीमा के नजदीक होने के कारण बिना कृषि रूपान्तरण के ही प्लॉटिंग आदि कर अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ले रहे है। इसलिए प्रार्थी बिना खाता विभाजन करवाये उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को [illegible] पाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस [illegible] जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:39:15 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं0 149 / 127 के मु0न0 51 के किला न0 20, 21 मु0न0 52 के किला न0 16, 25 की कुल 1.012है0 नहरी खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता श्योकत नजीर मोहम्मद खान के नाम व इसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बीएचडी के खाता सं0 144/136 के मु0न0 2 के किला न0 5, 6, 15, 16 मु0न0 3 के न0 1, 10, 11, 20 की कुल 2.0240है0 वाद भूमि प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा व ...गण के नाम दर्ज हो गई। उक्त कृषि भूमि सयुंक्त खाता की खातेदारी है जो शहरी ... के नजदीक होने के कारण किमती कृषि भूमि है। उक्त वाद भूमि का विभाजन नहीं हुआ प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनी सुविधा अनुसार उक्त वाद भूमि को काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थीगण अपने हिस्सा की भूमि को बिना खाता विभाजन करवायें अच्छी किस्म की भूमि को औने–पौने दामों पर स्टाम्प आदि के जरिये बेच रहे है। तथा शहरी सीमा के नजदीक होने के कारण बिना कृषि रूपान्तरण के ही प्लॉटिंग आदि कर अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ले रहे है। उक्त विवादित भूमि से संबंधित वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन अप्रार्थीगण ने दौराने दावा विवादित भूमि में से अपने हिस्सा से अप्रार्थी सं0 6 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.12.2020 एवं इससे पूर्व 26.07.2017 को बैय कर दिया। अप्रार्थी सं0 6 ने भी अपना हक हिस्सा जरिये बैयनामा अप्रार्थी सं0 6ए व 6बी को बैयान कर दिया। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे विवादित भूमि में रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब को तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित भूमि संयुक्त मुश्तर्का खाता की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक इंच पर सहखातेदार को काबिज माना जाता है। सहखातेदार अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने हिस्सा की भूमि का उपयोग–उपभोग कर सकता है। प्रार्थी को सहखातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करवाने के कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारीज किया जावें । अधिवक्ता अप्रार्थी ने इस हेतु आरआरडी 2008 पेज न0 762 व आरआरडी 2008 पेज न0 765 नजीरें पेश की।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व नजीरों का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण भी वर्तमान में वाद भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने उक्त आराजी के खाता विभाजन बाबत वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है। चूंकि सहखातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अथवा खातेदारान को नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित करना अभिमत से भी न्यायालय सहमत है परन्तु उक्त प्रकरण में विवादित भूमि का बार–बार बैयनामा करने पर समय–समय पर प्रार्थी द्वारा पक्षकार बनाया गया है। जिससे न्यायालय में जैरकार वाद के निपटारा में न्याय में देरी एवं पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता सिद्वात प्रतिपादित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चूंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है अप्रार्थीगण जो कि वादभूमि के खा[illegible]कार है लेकिन दौराने दावा अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि को आगे बैय किया जा[illegible] तो [illegible] में जटिलता उत्पन्न होने के साथ–साथ न्याय में देरी होगी। लेकिन अप्रार्थीगण को [illegible] हिस्सा पर अपनी घरेलु जरूरतों आदि को लेकर रहन आदि से वंचित किया जाता [illegible] उपयोग–उपभोग में असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों दस्तावेजों के आधार पर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:15 IST
Reason: SelfAttested

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि बिना खाता विभाजन करवाये अप्रार्थीगण द्वारा यदि

उपखण्डअधिकारी (राजस्व)
... (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

...त रकबा को आगे बैचान आदि किया जाता है एवं निमार्ण कार्य आदि किया जाता है तो ...ी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से ...रथाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण ताफैसला वाद पावन्द किया जाता है कि वे विवादित रकबा रोही मौजा चक 7 बीएचडी के खाता सं0 149/127 के मु0न0 51 के किला न0 20, 21 मु0न0 52 के किला न0 16, 25 की कुल 1.012है0 नहरी खातेदारी व इसी प्रकार चक 9 बीएचडी के खाता सं0 144/136 के मु0न0 2 के किला न0 5, 6, 15, 16 मु0न0 3 के किला न0 1, 10, 11, 20 की कुल 2.0240है0 में अपने हिस्सा का बैचान ना करें एवं बिना रूपान्तरण किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा अकृषि कार्य आदि ना करें। परन्तु उभयपक्ष अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने–अपने हिस्सा को केसीसी अथवा बैंक रहन करवाने के लिए स्वंतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 13/12/24..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला-हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner